राजस्थान–सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः–एफ4(ई)(1)(6)ख.ले./प्रति./अलेसे–III 8532–75 दिनांकः– 6.2.2013

विज्ञप्ति

विषयः– **खण्डीय लेखाकार के पद पर पदस्थापन हेतु सहमति पत्र**

माननीय खण्ड पीठ उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील /रिट संख्या 299/2010, 300/2010 एंव 305/2010 {एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15296/09 } द्वारा दिनांक 10.08.2010 को दिये गये निर्देशों के अनुसरण में खंडीय लेखाकार के पदों पर राज्य के विभिन्न जिलों में खण्डीय लेखाकार के रिक्त पदों पर लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकारों की पदस्थापना वरिष्ठता के अनुसरण में उन कर्मियों कि की जानी है , जिन्हें निर्माण विभाग यथा जन स्वा.अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन {सिंचाई}, आईजीएनपी एवं सीएडी में 2 वर्ष या इससे अधिक का निमार्ण कार्य लेखा का कार्यानुभव है ।

अतः वरिष्ठता सूची अनुसार लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार जो 2 वर्ष या अधिक का कार्यानुभव रखते है तथा जिनके विरूद्व सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत कोई जांच विचाराधीन नहीं है या उक्त नियमों के तहत दण्डित नहीं है । यदि खण्डीय लेखाकार के रिक्त पद पर पदस्थापन/स्थानान्तरण के इच्छुक है तो, संलग्न " सहमति पत्र " निर्माण विभाग के अनुभव सहित कार्यालयाध्यक्ष से सेवा अभिलेखों के आधार पर सत्यापित करवाकर, इस कार्यालय में दिनांक 06.03.2013 तक भिजवाएं । उक्त दिनांक के पश्चात् सहमति पत्र प्राप्त होने पर उनके प्रकरणों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

निदेशक

कमांकः–एफ4(ई)(1)(6)ख.ले./प्रति./अलेसे–III 8532–75 दिनांकः– 6.2.2013
प्रतिलिपि :–

{1} कोषाधिकारी ....को प्रेषित कर लेख है कि आपके जिले के संबंधित लेखाकार /क0लेखाकार को इस संबंध में अवगत करावें ।
{2} उपकोषाधिकारी ....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित लेखाकार / क0लेखाकार को इस संबंध में अवगत करावें ।
{3} प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्थान एकाउन्टेट ऐसोशियेशन को सूचनार्थ ।
{4} समस्त जिला अध्यक्ष, राजस्थान एकाउन्टेट ऐसोशियेशन को सूचनार्थ ।

अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक–II}

खण्डीय लेखाकार के पद पर

पदस्थापन हेतु सहमति पत्र

मैं.. बैच वर्ष .... का लेखाकार /कनिष्ठ लेखाकार वर्तमान में कार्यालय..में दिनांक... से पदस्थापित हूँ । निदेशालय कोष एवं लेखा के पत्र कमांक .... दिनांक...........................के अनुसरण में राजस्थान में स्थित किसी भी कार्यालय में खण्डीय लेखाकार के पद पर पदस्थापन हेतु सहमति देता हूँ :–

पदस्थापन हेतु जिले की वरीयता
1 ....
2 ....
3 ....
4 ....
5 ....
....

	अनुभव का विवरण	
	कार्यालय का नाम (जिसमें निर्माण लेखों से संबंधित कार्य का अनुभव है)	अवधि
1		
2		
3		
4		
5		

प्रार्थी,

नाम......................................

बैच / वरिष्ठता कमांक......................

श्री..कनिष्ठ लेखाकार / लेखाकार के निर्माण लेखों के कार्य अनुभव उनके सेवाभिलेख के आधार पर सत्यापन किया जाता है तथा श्री.................................के विरूद्व सीसीए नियम 16 में कोई जॉच विचाराधीन नहीं है न ही इन्हें उक्त नियमों के अन्तर्गत दण्डित किया है ।

कार्यालयाध्यक्ष

नोटः–दिनांक 06.03.2013 तक **सहमति पत्र** प्राप्त होने पर ही खण्डीय लेखाकार के पद पर पदस्थापन हेतु विचार किया जावेगा ।

ALLFILE/JD/DA Letter